भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1176
दिनांक 09.02.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल योजना

1176. श्री डी. के. सुरेश:
श्री नलीन कुमार कटील:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पानी की उपलब्धता और मांग को ध्यान में रखते हुए जल योजनाएं बना रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने शहरी जल की पहुंच पर प्रभाव डालने वाले कारकों पर ध्यान दिया है; और
(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सभी घरों में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (घ) भारत सरकार ने जल उपलब्ध कराने, उसके संरक्षण और संवितरण के लिए अनेक कदम उठाए हैं और विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम शुरू किए हैं। कुछ प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के माध्यम से जल के संरक्षण, बर्बादी को कम करने और राज्यों के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य को इसका अधिक न्यायसंगत संवितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जल मिशन शुरू किया गया है।

इस मिशन के तहत, मांग पक्ष प्रबंधन के एक हिस्से के रूप में किसानों को पानी के कम खपत वाली कृषि फसलों का अधिक उपयोग करने और कृषि में पानी का अधिक कुशलता से उपयोग करने के लिए प्रेरित करने हेतु "सही फसल" नामक एक अभियान भी शुरू किया गया है।

इसके अलावा, जल संबंधी विभिन्न विषयों के बारे में प्रतिभागियों के बीच संवाद और सूचना साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता सृजन करने, हितधारकों की क्षमताओं का निर्माण करने और लोगों को पानी के संरक्षण और बचत में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक मासिक संगोष्ठी श्रृंखला - "वाटर टॉक" शुरू की गई है।

(ii) अटल भूजल योजना, एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, जिसमें सामुदायिक भागीदारी, मांग पक्ष हस्तक्षेप और सतत भूजल प्रबंधन के लिए चल रही योजनाओं के सामंजस्य पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, को 01 अप्रैल 2020 से सात राज्यों - गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(iii) प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का एक घटक हर खेत को पानी (एचकेकेपी), जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार (आरआरआर) योजना, शुरू की गई जिसका उद्देश्य भूजल पुनर्भरण, पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि, टैंक कमांड के कैचमेंट में सुधार आदि जैसे अन्य कई उद्देश्यों के साथ-साथ टैंक भंडारण क्षमता में वृद्धि करके जल निकायों में सुधार और बहाली द्वारा सिंचाई क्षमता को पुनर्जीवित करना है।

(iv) भारत सरकार द्वारा अटल नवीरकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 25 जून, 2015 को देश भर के चुनिंदा 500 शहरों और कस्बों में 5 वर्षों की अवधि के लिए अर्थात वित्त वर्ष 2015-2016 से वित्त वर्ष 2019-2020 तक शुरू किया गया था, जिसे प्रगतिशील परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बढ़ाया गया है। यह मिशन जल आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, तूफानी जल निकासी, हरित स्थानों और पार्कों तथा गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में मिशन शहरों में मूलभूत शहरी अवसंरचना के विकास पर केंद्रित है।

(v) भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2019 से राज्यों के साथ भागेदारी से जल जीवन मिशन-हर घर जल कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 2024 तक नल जल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस: 10500) की पर्याप्त मात्रा (55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन) में पीने योग्य पानी प्रदान करना है।

अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 06.02.2023 तक, जेजेएम के तहत पिछले साढ़े तीन वर्षों में लगभग 7.87 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 06.02.2023 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 11.10 करोड़ (57%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

(vi) 256 जल संकटग्रस्त जिलों में वर्ष 2019 में जल शक्ति अभियान-। (जेएसए-।) शुरू किया गया था ताकि पांच लक्षित हस्तक्षेपों, अर्थात् जल संरक्षण तथा वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और अन्य जल निकायों/टैंकों के नवीकरण, बोरवेलों के पुन: उपयोग तथा पुनर्भरण, वाटरशेड विकास और गहन वनीकरण के त्वरित कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करके जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके।

वर्ष 2021 में, "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) को देश भर के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों) के सभी ब्लॉकों को कवर करने के लिए "कैच द रेन – वेयर इट फाल्स वेन इट फाल्स" विषय के साथ शुरू किया गया था। जेएसए के लिए केंद्रित हस्तक्षेपों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, पारंपरिक और अन्य जल निकायों/टैंकों का नवीकरण, बोरवेल का पुन: उपयोग और पुनर्भरण, वाटरशेड विकास और गहन वनीकरण शामिल हैं।

भूजल की कमी को नियंत्रित करने और वर्षा जल संचयन/संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कुछ अन्य कदम निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं:

http://jalshakti-dowr.gov.in/sites/default/files/Steps_to_control_water_depletion_Feb2021.pdf

इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 के लिए अपनी रिपोर्ट में जल और स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों के लिए सशर्त अनुदानों का 60 प्रतिशत निर्धारित किया है, जिसमें से 50 प्रतिशत ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल घटक हैं।

*****